


भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचानात्मक टिप्पणी दी जाय)</p>	<p>Recommended for Approval.</p>  <p>सुरेश चन्द्र मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ० प्र०, लखनऊ.</p>
----	---	--

दिनांक:-
स्थान

हस्ताक्षर
नाम 0861
सरकारी मोहर